

तम्बाकू मुक्त शिक्षण संस्थान

स्व-घोषणा प्रमाण-पत्र

शिक्षण संस्थान का नाम K.V.M. Public School

शिक्षण संस्थान का पता Shiksha Nagar, Lamachaur, Haldwani

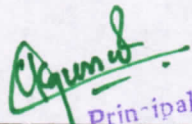
मैं (प्रधानाध्यापक का नाम) Mrs. Chandrakala Anand

प्रमाणित करता हूँ कि राष्ट्रीय तम्बाकू नियंत्रण कार्यक्रम के तहत सिगरेट और अन्य तम्बाकू उत्पाद अधिनियम कोटपा 2003 की धारा - 6B का उपरोक्त शिक्षण संस्थान में पूर्णरूप से अनुपालन किया गया है। तम्बाकू मुक्त शिक्षण संस्थान (ToFEI) के दिशा-निर्देशों के अनुरूप निर्दिष्ट संकेत बोर्ड/दीवार लेखन प्रदर्शित किया गया है। साथ ही, जागरूकता अभियान का आयोजन किया गया, जिसके माध्यम से छात्र/छात्राओं को तम्बाकू-सेवन से होने वाले दुष्परिणामों एवं तम्बाकू छोड़ने के फायदे से अवगत कराया गया है। छात्र/छात्राओं के साथ-साथ शिक्षण संस्थान में कार्यरत सभी शिक्षकगण/कर्मचारियों को तम्बाकू सेवन नहीं करने की शपथ दिलायी गई।

मैं प्रमाणित करता हूँ कि शिक्षकों, कर्मचारियों एवं छात्रगण के द्वारा शिक्षण संस्थान परिसर को पीली लाइन (Yellow Line) कैम्पेन के माध्यम से "तम्बाकू मुक्त संस्थान" घोषित किया जाता है।

अगर कोई व्यक्ति / दुकानदार शिक्षण संस्थान परिसर के 100 गज के दायरे में तम्बाकू उत्पाद का सेवन करता या बेचता हुआ पकड़ा जायेगा तो उसके खिलाफ तम्बाकू नियंत्रण अधिनियम (कोटपा 2003) की विभिन्न धाराओं सहित किशोर न्याय (बाल देखभाल एवं संरक्षण) अधिनियम 2015 की धारा 77 के तहत विधि सम्मत कार्रवाई की जाएगी।

दिनांक : 2/4/2025


प्रधानाध्यापक का हस्ताक्षर
K.V.M. Public School
शिक्षण संस्थान का मुहर